प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित की गयी है।

संविधान की 12वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 कार्यों में से 14 कार्यों को या तो पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तांतरित किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानूनी प्रावधानों को निर्णायक कार्यवाहियों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना फलीभूत नहीं हुई। यह विशेष रूप से प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण से संबंधित प्रावधानों के मामले में यथार्थ था। शहरी स्थानीय निकायों में जनशक्ति में 62 से 75 *प्रतिशत* तक कमी थी और सबसे अधिक कमी केंद्रीकृत कर्मचारियों की थी जो नगरपालिका में नौकरशाही को नेतृत्व प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए निष्पादन अनुदान को छोड़कर, पूर्ण रूप से अवमुक्त की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों में अपने राजस्व के स्वयं के स्रोतों का आरोपण एवं संग्रहण करने में स्वायत्तता का अभाव था।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रदान किए गए सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।